



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
 14-अशोक मार्ग शक्ति भवन लखनऊ
 २०१४-०१-२०

संख्या - ३६५ - अ०प्र०-०७ / पाकालि / १४-१५-अ०प्र०-०७ / १३

दिनांक: २०. ०१. २०१४

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (जानपद) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के समुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं०-४८५-ए-आर/राविधि-०१-२८-एआर/८९, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :—

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम पिता का नाम/गृह जनपद/जन्मतिथि/वरिंक्रमांक सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थान	प्रोन्नति पश्चात् तैनाती /आवंटन ईकाई	अभिज्ञान सं०
१	विजय कुमार पुत्र श्री पारस नाथ देवरिया /०१.०७.५७ / (२४६ / ७८-७९)	विद्युत जानपद खण्ड (वितरण), गोरखपुर	पूर्वांचल	२०१४०५
२	सत्य प्रकाश शर्मा पुत्र श्री जी०आर० शर्मा बदायूँ /०१.०१.५५ / (३०२ / ७९-८०)	विद्युत जानपद पारेषण खण्ड, आगरा	पारेषण	२०१४०६

सभी अवर अभियन्ताओं सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :—

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
 - (ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र० पा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात् एक माह में कार्यभार ग्रहण करना भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : ३६५ – अ०प्र०–०७ / पाकालि / २०१४ / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण न चल रहा हो।
1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
 5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / निदेशक (वितरण) / निदेशक(वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 6. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्क्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
 8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
 9. अधिशासी अभियन्ता (Website) उ०प्र० पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
 10. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि०।
 11. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पा०का०लि०।
 12. उपसचिव (अ०प्र०–०४) उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 14. अनुभाग अधिकारी, (अ०प्र०–०४) / गोपन अनुभाग, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 15. संबंधित अधिकारीगण।
 16. गार्ड फाइल / कट फाइल।

आज्ञा से,
S. Kumar, १०-१-१४
(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव